



कौशल विकास संचालनालय
मध्यप्रदेश

— आदेश —

/जबलपुर, दिनांक : 6/9/13

क्रमांक कौविसं./स्थाप-प्र/सामा-224/2013/ 5310 /एम.पी. ऑनलाईन द्वारा प्रशिक्षण अधिकारियों के पद के लिए आयोजित चयन परीक्षा के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को उनके अभिलेखों के परीक्षणों परांत एवं पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने की प्रत्याशा में मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (तकनीकी) सेवा में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 9300-34800 + रू0 3200/- ग्रेड पे एवं अन्य भत्ते जो राज्य शासन द्वारा मान्य है, पर दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर उनके द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक के लिए निम्न शर्तों पर नियुक्त कर पदस्थ किया जाता है :-

1. परीवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण अधिकारी को डीजीईटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई/सीटीआई) से एक वर्षीय अनुदेशक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में वेतन वृद्धि एवं उच्च पद पर पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। यदि वे उक्त परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उनकी सेवायें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8(6) के अनुसार नियमित की जाकर उनकी रूकी हुई सभी वेतनवृद्धियां प्राप्त हो जावेगी।
2. शासन द्वारा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण पर भेजे जाने पर कोई उम्मीदवार किन्हीं भी कारणों से प्रशिक्षण पूर्ण न कर बीच में वापिस होता है तो उस पर शासन द्वारा प्रशिक्षण पर किया गया व्यय वेतन एवं भत्तों सहित वसूली योग्य होगा।
3. परीवीक्षा अवधि में उनकी सेवाएँ कभी भी बिना कारण बताएँ एवं बिना नोटिस दिए समाप्त की जा सकेगी।
4. कार्यग्रहण करने के उपरांत यदि स्वयं की इच्छा से सेवाएँ छोड़ना चाहते हैं तो एक माह पूर्व नोटिस या एक माह का पूर्ण वेतन देना होगा। इसी तरह यदि विभाग सेवाएँ समाप्त करता है तो विभाग एक माह पूर्व नोटिस अथवा एक माह का वेतन भुगतान कर सेवाएँ समाप्त कर सकेगा।
5. कार्यग्रहण के समय जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सीय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधित संस्था में प्रस्तुत करना होगा।
6. यदि किसी उम्मीदवार का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जाति प्रमाण पत्र या नियुक्ति संबंधी अन्य कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से बिना नोटिस दिये समाप्त की जा सकेगी और उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा।
7. यह नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी। कार्यग्रहण के समय इस हेतु आपको संलग्न प्रारूप पर शपथ पत्र संबंधित संस्था/कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा।
8. उम्मीदवारों की आपसी वरिष्ठता मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 12 (1)(क) के अनुसार एम.पी. ऑनलाईन से प्राप्त चयनित मेरिट सूची अनुसार होगी।
9. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के तहत 01.01.05 के उपरांत नियुक्त राज्य शासन के कर्मचारियों को अंशदान पेंशन योजना लागू होगी। म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे तथा म.प्र. सामान्य भविष्य निधि लागू नहीं होंगे।
10. यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर एवं उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष लंबित याचिका क्रमांक 9151/2013, 9434/2013, 5059/2013 के अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

कौशल विकास संचालनालय, साईं मंदिर के सामने, नगदा रोड, जबलपुर म.प्र. 482008, दूरभाष क्रमांक 0761-2661021, 2660524,

वेबसाइट www.mpdn.nic.in ई गेल : dttrgibp@gmail.com


क्र	उम्मीदवार का नाम पिता/पति का नाम एवं पता	योग्यता डिग्री/ डिप्लोमा/ आईटीआई	आरक्षित/ अनारक्षित	व्यवसाय का नाम	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम जहां पदस्थापना की गई है
1	2	3	4	5	6
1	श्री सदीप कुमार सैनी/श्री सुभाष चंद सैनी गुरुकुल जैन मंदिर के पास, ग्राम लूधरवाड़ा, पोस्ट बीजावाड़ा, तहसील व जिला सिवनी (म.प्र.)480661	डिप्लोमा	अपिव (अनारक्षित के विरुद्ध)	इटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाईनिंग	महिला भोपाल
2	श्री किशोर काले/स्व. श्री श्रीपत काले 6-सी, राजेन्द्र नगर, इंदौर (म.प्र.)452009	डिप्लोमा	अपिव	इटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाईनिंग	महिला रतलाम
3	श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय/श्री रुद्र दत्त पाण्डेय ग्राम पोस्ट सिंहपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) 484001	डिग्री	अनारक्षित	इन्फारमेशन टैक्नालॉजी एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम मेन्टेन्स	इंदौर
4	कु. सरोज पवार/श्री एस.के. पवार क्वा.न. 3153/3, आयुध नगर, इटारसी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.) 461122	डिग्री	अपिव	इन्फारमेशन टैक्नालॉजी एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम मेन्टेन्स	महिला ग्वालियर
5	कु. अनागिका अवस्थी/श्री अनंत कुमार अवस्थी आरपीएफ थाने के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड, न.क.ज. कटनी (म.प्र.) 483501	डिग्री	अनारक्षित	इन्फारमेशन टैक्नालॉजी एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम मेन्टेन्स	सीधी
6	श्री प्रवीण चौहान/श्री शिवशंकर चौहान ग्रा.पो. अटूट खास, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा (म.प्र.) 450551	डिग्री	अनुसूचित जनजाति	इन्फारमेशन टैक्नालॉजी एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम मेन्टेन्स	बालाघाट
7	कु. प्रतिमा मेहरा/श्री रमेश कुमार मेहरा 215/1 विद्या नगर, जीसीएफ इस्टेट, जबलपुर (म.प्र.)482011	डिग्री	अनुसूचित जाति	इन्फारमेशन टैक्नालॉजी एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम मेन्टेन्स	बालाघाट
8	श्री योगेश ठाकरे/श्री के.एम. ठाकरे 2801/19ए न्यू आदर्श कालोनी, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.) 482004	डिप्लोमा	अपिव (अनारक्षित के विरुद्ध)	डेस्कटॉप पब्लिशर आपरेटर	सिवनी
9	श्री मुकेश कुमार/श्री रामचरन सिंह गायत्री क्लीनिक अम्बाह रोड, बडोखर, मुरैना (म.प्र.)	आईटीआई	अनुसूचित जाति (अनारक्षित के विरुद्ध)	कटिंग स्वीईंग	भिण्ड
10	श्री जितेन्द्र कुमार गौड़/श्री अनिल कुमार गौड़ 36 रिवर व्यू कालोनी, गली नं. 2 मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) 474006	डिप्लोमा	अनारक्षित	कटिंग स्वीईंग	मुरैना
11	मधु पटेल/श्री विपत सिंह पटेल म.न. एच-39 गोविन्दपुरा पुलिस लाईन, भोपाल (म.प्र.) 462023	आईटीआई	अनारक्षित	कटिंग स्वीईंग	आदर्श भोपाल
12	कु. निशाद अंजुम कुरैशी/मो. आरिफ वार्ड न. 11 माता मंदिर के पास, भरवेली जिला बालाघाट (म.प्र.) 481102	डिप्लोमा	अपिव (अनारक्षित के विरुद्ध)	कटिंग स्वीईंग	केवलारी
13	श्री अमित कुमार यादव/श्री अशोक कुमार यादव द्वारा एस.एम. वर्मा, फालका बाजार, जरी पटाका, गली नं. 3 लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) 474001	डिप्लोमा	अपिव (अनारक्षित के विरुद्ध)	कटिंग स्वीईंग	मुरैना

कौशल विकास संचालनालय, साई मंदिर के सामने, नर्मदा रोड, जबलपुर म.प्र. 482008, दूरभाष क्रमांक 0761-2661021, 2660524,

वेबसाइट www.mpdt.nic.in ई मेल : dttrgjb@gmail.com

E:\Dongre 2012-13\Patel\Bharti 2013\Orders\Final 216\Training Officer - 9 Trades - Final.doc

क्र	उम्मीदवार का नाम पिता/पति का नाम एवं पता	योग्यता डिग्री/ डिप्लोमा/ आईटीआई	आरक्षित/ अनारक्षित	व्यवसाय का नाम	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम जहां पदस्थापना की गई है
1	2	3	4	5	6
14	श्री नितिन कुशवाह/श्री किशोरी लाल कुशवाह 113, सरदार मार्ग, कुशवाह मोहल्ला, कसरावद, जिला खरगोन (म.प्र.) 451228	डिग्री	अपिव	कटिंग रवीईंग	महिला खण्डवा
15	मानूर मिर्जा/श्री असगर मिर्जा 2696 सुभाष वार्ड, आनंद नगर, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.)	डिग्री	अनारक्षित	कटिंग रवीईंग	शहडोल
16	श्री धर्मेन्द्र बाधम/श्री वृंदावन बाधम वार्ड नं. 14 छोटा बाजार, पिछोर, डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.)	डिप्लोमा	अनुसूचित जनजाति	कटिंग रवीईंग	शिवपुरी
17	श्री प्रफुल्ल सोनारकर/स्व. श्री नामदेव सोनारकर 23/2, काछी मोहल्ला, श्री राम मांगलिक भवन के पास, इंदौर (म.प्र.) 452007	डिप्लोमा	अनुसूचित जाति	कटिंग रवीईंग	रतलाम
18	श्री ददन बैगा/श्री सम्हारु बैगा वार्ड नं. 31 कृष्ण कालोनी, आईटीआई के पीछे, सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) 484001	आईटीआई	अनुसूचित जनजाति	कटिंग रवीईंग	सिंगरौली
19	पूनम पटेल पिता श्री ऋषिराम पटेल क्वा.नं. बी-3, रेल्वे कालोनी, एम.जी.एम. स्कूल के पास, धनपुरी, शहडोल (म.प्र.) 484114	एम.एस.सी.	अन्य पिछड़ा वर्ग	हेयर एण्ड रिक्न केयर	महिला रीवा
20	मनीष यादव पिता श्री विजय सिंह यादव 22/90 विवेकानंद कालोनी, गणेशपुरा, मुरैना (म.प्र.) 476001	डिग्री	अन्य पिछड़ा वर्ग (अनारक्षित के विरुद्ध)	फैशन टैक्नालॉजी	महिला उज्जैन
21	सुरेश पटेल पिता श्री नन्हेवीर पटेल एयरटेल टॉवर के पास, गों हिंगलाज कालोनी, कालिका नगर, बावई रोड, होशंगाबाद (म.प्र.) 461001	डिग्री	अन्य पिछड़ा वर्ग	फैशन टैक्नालॉजी	महिला रीवा
22	श्रीमती मृदुला शुक्ला पति श्री आर.एस. मिश्रा डी.एम. 9/403 आई.बी.डी. हॉलमार्क सिटी, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) 462042	डिप्लोमा	अनारक्षित	ड्रेस मैकिंग	महिला भोपाल
23	विकास अमलकर पिता श्री मोरहवज अमलकर 186, शास्त्री नगर, सारंगपुर, जिला-राजगढ़ (ब्यावरा) (म.प्र.) 465697	डिप्लोमा	अनुसूचित जाति	ड्रेस मैकिंग	कटनी
24	पवन राठी पिता श्री एन.के. राठी 310, जय नगर, गढ़ा रोड, जबलपुर (म.प्र.) 482002	डिग्री	अनारक्षित	फ्रंट आफिस असिस्टेंट	महिला भोपाल
25	आशुतोष शर्मा पिता श्री रामदत्त शर्मा 36, महाकौशल नगर, सरस्वती उच्च माध्य. विद्यालय के पीछे, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.) 482004	डिग्री	अनारक्षित	कम्प्यूटर हार्डवेयर	इटारसी
26	ओम शरण जांगड़े पिता श्री गुलाब चंद जांगड़े नहर रोड, भगत सिंह वार्ड, भैरोगंज, सिवनी (म.प्र.) 480661	डिग्री	अनुसूचित जाति	कम्प्यूटर हार्डवेयर	देवास


 संचालक
 कौशल विकास मध्यप्रदेश

3

कौशल विकास संचालनालय, साईं मंदिर के सामने, नर्मदा रोड, जबलपुर म.प्र. 482008, दूरभाष क्रमांक 0761-2661021, 2660524,

वेबसाइट www.mpdt.nic.in ई मेल : [dt\(trg\)bp@gmail.com](mailto:dt(trg)bp@gmail.com)

E:\Dongre 2012-13\Patel\Bharti 2013\Order\Final 216\Fraining Officer - 9 Trades - Final.doc

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. महालेखाकार, म.प्र. खालियर ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, भोपाल ।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, भोपाल ।
4. समस्त संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मध्यप्रदेश। चयनित उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति आदेश की कंडिका 7 में दर्शाये अनुसार पुलिस चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर शपथ पत्र एवं अनुप्रमाणन फार्म तीन प्रतियों में पूर्ण रूप से भरवाकर प्राप्त करें और उनके स्थाई/अस्थायी निवास तथा शिक्षा प्राप्त करने के दौरान निवासरत अवधि का पुलिस चरित्र सत्यापन कराये जाने हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक को अनुप्रमाणन फार्म एवं शपथ पत्र भेजे। पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संचालनालय को मूलतः भेजे। उम्मीदवार के कार्यग्रहण करने के पूर्व उनकी शैक्षणिक, जाति एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्राप्त करें। उम्मीदवार के डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण होने की स्थिति में समस्त सेमेस्टर की अंकसूची की सत्यापित प्रति प्राप्त करें। संबंधित के कार्यग्रहण प्रतिवेदन, व्यक्तिगत विवरण एवं प्रमाण पत्रों की एक-एक प्रमाणित प्रति संस्था में कार्यालय अभिलेख के रूप में रखें। कार्यग्रहण प्रतिवेदन एवं चिकित्सीय परीक्षण प्रमाण पत्र तत्काल संचालनालय भेजे।
6. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।
7. संबंधित उम्मीदवार को सूचनार्थ। निर्देशित किया जाता है कि आप अपने शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, चिकित्सीय परीक्षण प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं सत्यापित छायाप्रति एवं पुलिस चरित्र सत्यापन हेतु अनुप्रमाणन फार्म पूर्ण रूप से भरकर शपथ पत्र सहित संबंधित संस्था के प्राचार्य/संस्था प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यग्रहण करें। आपको आदेश जारी होने के 15 दिन के अंदर कार्यग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
8. स्टैनो संचालक/अतिरिक्त संचालक एवं संयुक्त संचालक कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
9. अधीक्षक/स्थापना/गोपनीय/बजट/पदक्रम सूची अनुभाग प्रभारी, कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश जबलपुर ।


संचालक
कौशल विकास मध्यप्रदेश